Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

154-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2015 (BHADRA 6, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th August, 2015

No. 9-HLA of 2015/70/13651.—The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2015 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 9- HLA of 2015.

THE HARYANA GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2015.

Amendment of Section 5A of Haryana Act 28 of 1988.

2. For sub-section (2) of section 5A of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a convicted hardcore prisoner who has not been awarded death penalty, may be entitled for temporary release or furlough only if he has completed his five years imprisonment and has not been awarded any major punishment by the Superintendent of Jail, as judicially appraised by the concerned District and Sessions Judge:

Provided that the five year imprisonment period shall not include imprisonment during trial period for more than two years, while counting five years of imprisonment:

Provided further that if the prisoner so released under this sub-section violates any condition of temporary release or furlough, he shall be debarred from such release in future.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2012, 2013, 2014 was notified on 01.10.2012, 02.01.2013 & 21.02.2014 respectively in order to prevent commission of crimes during the period of temporary release and furlough and to reduce the possibility of absconding during the said period. The existing provisions of the Act put a blanket ban on undertrial period being considered for purpose of temporary release and furlough in heinous crimes. Thus, a contrary situation has arisen that the reformatory measures start only post-conviction. Therefore, it has become necessary to include the undertrial period for considering the case of temporary release and furlough. Hence, this Bill.

BIKRAM SINGH YADAV,
Minister of State for
Co-operation and Printing & Stationery,
Haryana.

.

Chandigarh:
The 28th August, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 9–एच.एल.ए.

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2015
हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

1988 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 5क का संशोधन।

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 5क की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सिद्धदोष कट्टर बंदी जो मृत्यु शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है, केवल अस्थाई रिहाई या फरलो के लिए हकदार होगा, यदि उसने अपनी पांच वर्ष की कारावास पूर्ण कर ली है तथा सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से मुल्यांकित, जेल अधीक्षक द्वारा किसी बड़े दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है :

परन्तु पांच वर्ष की कारावास अवधि में पांच वर्ष की कारावास की गणना करते समय दो वर्ष से अधिक की विचारण अवधि के दौरान की कारावास शामिल नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि इस उप–धारा के अधीन इस प्रकार रिहा किया गया बंदी अस्थाई रिहाई या फरलो की किसी शर्त की उल्लंघना करता है, तो वह भविष्य में ऐसी रिहाई से विवर्जित हो जाएगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012, 2013, 2014 के माध्यम से कुछ संशोधन किए गये जो दिनांक 01.10.2012, 02.01.2013 व 21.02.2014 को अधिसूचित किए गए थे ताकि पैरोल और फरलो पर रिहाई के दौरान बन्दियों को अपराध करने से रोका जा सके व पैरोल/फरलो के दौरान उनके भगौड़ा होने की सम्भावना को कम/खत्म किया जा सके। मौजूदा अधिनियम के आदेशों में कट्टर बन्दियों की अस्थाई रिहाई व फरलो को विचारे जाने के लिए विचाराधीन अवधि को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया गया है। जिस कारण प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन हो गई है कि सुधारवादी उपाय केवल बन्दी ठहराये जाने के बाद से शुरू होते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अस्थाई रिहाई व फरलो को विचारते समय विचाराधीन अवधि को शामिल किया जाए। इसलिये यह बिल प्रस्तुत है।

बिक्रम सिंह यादव,
सहकारिता, मुद्रण व लेखन साम्रगी,
राज्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 अगस्त, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53650—H.V.S.—H.G.P., Chd.